उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ

संख्या– 42 / 05 / विज्ञा0अनु0(ग्यारह) / 2019
लखनऊः दिनांक– 22 मई, 2019

आवश्यक सूचना

आयोग द्वारा समूह 'ग' श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न संवर्गो के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन विज्ञापन प्रकाशित किये जाते है और उक्त विज्ञापनों के अन्तर्गत विज्ञापित विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective multiple choice) प्रश्नों की लिखित परीक्षायें आयोजित की जाती है।

आयोग द्वारा प्रकाशित उक्त विज्ञापनों के अन्तर्गत विज्ञापित पदों की प्रकृति के अनुरूप, विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक हो जाती है और उन समस्त अभ्यर्थियों की एक दिन में, एक पाली (शिफ्ट) में व्यवस्थित ढंग से परीक्षा आयोजित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। उक्त स्थिति में परीक्षा को दो अथवा अधिक शिफ्टों में आयोजित कराया जाना अपरिहार्य हो जाता है।

आयोग द्वारा दो अथवा अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाने वाली ऑफलाइन/ ऑनलाइन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को न्यायपूर्ण ढंग से अंको के निर्धारण हेतु विशेषज्ञों की एक नार्मलाइजेशन कमेटी गठित की गयी। उक्त कमेटी द्वारा संस्तुत नार्मलाइजेशन प्रक्रिया को आयोग की बैठक दिनांक– 17 मई, 2019 में अंगीकृत किया गया है। आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापनों (यथा– विज्ञापन संख्या–20–परीक्षा/2016, 23–परीक्षा/2016, 25–परीक्षा/2016, 26– परीक्षा/2016 व 28–परीक्षा/2016 तथा वर्ष 2018 के विज्ञापन संख्या–04 परीक्षा/2018, 05–परीक्षा/2018, 06–परीक्षा/2018 वर्ष 2019 के विज्ञापन संख्या–01–परीक्षा/2019 व 02– परीक्षा/2019) के अन्तर्गत विज्ञापित पदों, जिन पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका है, की भविष्य में, एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाने वाली, परीक्षाओं पर नार्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आयोग के आगामी विज्ञापनों के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार जहां एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जायेंगी उन परीक्षाओं पर उक्त नार्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जा सकेगी। आयोग द्वारा लागू की गयी नार्मलाइजेशन प्रक्रिया का सूत्र (Formula) सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न।

संलग्नकः यथोपरि।

सचिव,
उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा आयोग
लखनऊ।

Normalization Process

The normalization process will be carried out for the multi-session papers only and the following formula will be used by the commission for the purpose.

Calculation of Normalized Scores:

The normalization of marks obtained by the candidates is done based on the fundamental assumption that **"in all multi-session papers, the distribution of abilities of candidates is the same across all the sessions"**. The formula used in the calculation of the normalized scores is based on mean and standard deviation.

Below is the formula to be used by the authorities in the calculation of the normalized scores of the multisession examinations and papers.

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}} \left(M_{ij} - M_{iq}\right) + M_q^g$$

In the above formula, the assumption is made that we are normalizing the marks of the**j**th candidate in the**i**th session.

In the above formula:

M_{ij} = Actual marks obtained by the jth candidate in the ith session.
$\bar{M}_t^g$ = Average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions.
M_q^g= Sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions.
$\bar{M}_{ti}$ = Average marks of the top 0.1% of the candidates in the ith session.
M_{iq} =Sum of the mean marks and standard deviation of the ith session.

Using this method, the normalized scores are calculated.